टिहरी बांध परियोजना पर विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन

353. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः माह की अवधि के दौरान टिहरी बांध निर्माण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों की दो समितियों ने सरकार को परस्पर विरोधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति का नाम क्या है जिसके प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा अनुकूल रवैया अपनाया जा रहा है; और

(ग) उपर्युक्त समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार करने के आधार क्या हैं और दूसरी समिति के प्रतिवेदन को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) से (ग) टिहरी जल विद्युत विकास निगम द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई पर्यावरणीय कार्यवाही योजनाओं की, नदी घाटी तथा जल विद्युत परियोजनाओं हेतु उक्त मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति (ई०ए०सी०) द्वारा जांच की गई थी। पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति ने भूवैज्ञानिक तथा भूकम्पीय परिस्थितियों से संबंधित जोखिम एवं आपदाओं और पारिस्थितियों तथा अनुकूल प्रभाव जिनसे परियोजना पर असर पड़ सकता है, विचार करने के पश्चात यह निर्णय निर्णय लिया है कि टिहरी परियोजना के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना कोई महत्व नहीं रखता।

परियोजना क्षेत्र का भूकम्पीय क्षेत्र में होने को मद्देनजर रखते हुए बांध की सुरक्षा के बारे में पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति एवं अन्य संगठनों द्वारा जो आशंकाएं व्यक्त की गई हैं उनको देखते हुए सरकार द्वारा मार्च, 1990 में विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है ताकि टिहरी बांध परियोजना की सुरक्षा संबंधी विशिष्ट पहलुओं से संबंधित आशंकाओं का समाधान किया जा सके। समिति ने जिसमें संबंधित क्षेत्रों के उच्च स्तर के वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स भी शामिल हैं, मामले का समुचित रूप से अध्ययन कराने तथा अत्यधिक प्रतिकूल भूकम्प परिदृश्य की धारणा पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया है कि यथा प्रस्तावित टिहरी बांध सुरक्षित रहेगा तथा टिहरी बांध परियोजना की आयोजना में भूकम्पीय परिस्थितियों से संबंधित सभी प्रकार के जोखिमों को ध्यान में रखा गया है तथा जलाशय के कारण संभावित भूकम्पीय परिस्थितियों पर और विचार किया जाना अपेक्षित नहीं है।

टिहरी परियोजना के लिए निवेश संबंधी अनुमोदन के समय समितियों के निर्णयों तथा सिफारिशों को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

टिहरी बांध परियोजना के संबंध में नई विशेषज्ञ समिति

354. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग तीन महीने पूर्व टिहरी बांध के निर्माण के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति की नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सरकार ने सम्बन्ध में हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस नई समिति में सम्मिलित किये गये विशेषज्ञ इस बांध के निर्माण कार्य में किसी प्रकार पहले से ही जुड़े हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनमें से एक विशेषज्ञ अभी विदेश में ही है और उसका इस समिति के विचार विमर्श में भाग लेना सम्भव नहीं है; और यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि भाग (क), (ख) और (ग) का उत्तर हां हो तो, उनका ब्यौरा क्या है

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ

मोहम्मद खान) (क) से (घ) टिहरी जल विद्युत् विकास निगम द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत की गई पर्यावरणीय कार्य-योजनाओं की, नदी घाटी तथा जल विद्युत् परियोजनाओं हेतु उक्त मंत्रालय द्वारा गठित पर्यावरणीय मूल्यांकन समिति द्वारा जांच की गई थी । परियोजना क्षेत्र में भूकम्प की संभावनाओं को देखते हुये बांध की सुरक्षा को लेकर पर्यावरण मूल्यांकन समिति एवं कतिपय अन्य संगठनों द्वारा व्यक्त आशंकाओं के परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा टिहरी बांध परियोजना की सुरक्षा पहलुओं से संबंधित विशिष्ट मुद्दों से संबंधित संदेहों के समाधान के लिए विशेषज्ञों की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई थी ।

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय समिति में संबंधित क्षेत्रों के चोटी के वैज्ञानिक एवं इंजीनियर शामिल थे जो विशिष्ट राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों से जुड़े हुए हैं समिति का संघटन निम्नवत है :—

1. महानिदेशक, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, अध्यक्ष
2. निदेशक राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, सदस्य
3. सदस्य, (अभिकल्प एवं अनुसंधान) केन्द्रीय जल आयोग, सदस्य
4. भूकम्प अभियांत्रिकी विभाग, रुड़की विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, सदस्य
5. डा० पी०के० गौड़, सचिव समुद्र विकास निर्माण, सदस्य ।

इसके पहले डा० हर्ष गुप्ता, उपकुलपति कोचीन विश्वविद्यालय को उक्त समिति में शामिल किया गया था परन्तु उनके उपलब्ध न होने के कारण उनके स्थान पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डा० वी०के० गौड़ को समिति में शामिल कर लिया गया ।

Overcharging on Flucinolone Acetamide

355. CHOWDHARY RAM SEWAK:

SHRI BEKAL UTSAHI;

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to refer to the answer to Unstarred question 710, given in the Rajya Sabha on 19th March, 1990 and state:

(a) whether it is a fact that the formulator has not implemented the Prices of Flucort range of formulations fixed by Government in 1990; and

(b) if so, what action has been taken against the company and by when the public would get finished medicines at fixed prices?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI M. S. GURUPADASWAMY): (a) and (b) The State Drug Controller has been asked telegraphically to ensure that the company has implemented the price fixed by the Government in respect of Flucort range of formulations and send the necessary compliance Report.

Demand for better D.A. formula by the employees of Public Undertakings

356. SHRI SYED SIBTEY RAZI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the employees of Public Undertakings are demanding better Dearness Allowance formula;

(b) if so, what are the details *ot* their demands; and

(c) what will be the burden on the exchequer if Government accept their demand?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI AJIT SINGH): (a) to (c) The representatives of the unionised workers had proposed adoption of four separate rates corresponding to